तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/623/2002/भरतपुर रूपाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री एस.पी. सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री अशोक माथुर, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांक 30.01.2019

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–12–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर, भरतपुर ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक18–9–1999 एवं 14–09–2000 एवं परिपत्र दिनांक 14–09–2000 के अनुसरण में ग्राम भुसावर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1646 रकबा 148बीघा 17बिस्वा में से 12 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड एवंखसरा नम्बर 1650 रकबा 20बीघा 04बिस्वा में से 09बीघा 05बिस्वा कुल 21बीघा 08बिस्वा भूमि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को आदेश दिनांक 30–05–2001 से आवंटित की। इस आवंटन आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी रूपाराम ने भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–12–2001 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/623/2002/भरतपुर रूपाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम भुसावर स्थित खसरार नम्ब्र 1642, 1643, 1644 एवं 1652 अपीलार्थी रूपाराम की खातेदारी की भूमि राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है, जिसके चिपते हुए विवादित खसरा नम्बर 1646 एवं 1650 सिवायचक भूमि है, जिसके बीच पिछले 50वर्षो से आपस में कोई मेड बनी हुई नहीं है, जिस पर अपीलार्थीगण पूर्वजों के समय से काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपने पक्ष में नियम करवाने के अधिकारी है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर काबिज काश्त होने से आवंटन योग्य नहीं थी। उनका कथन है कि विवादित भूमि को आवंटन करने से पूर्व कोई अधिसूचना जारी नहीं की गयी, ना ही ग्राम पंचायत स्तर पर नोटिस देकर सूचना करवाई गयी। उनका कथन है कि जिला कलक्टर ने कौनसे नियमों के तहत विवादित आराजी का आवंटन किया गया, उल्लेख नहीं किया गया। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा जिला कलक्टर के आवंटन आदेश को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि जिला कलक्टर द्वारा विवादित आराजी का नियमानुसार विद्युत विभाग को 132 के.वी.जी एसएस निर्माण हेतु किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/623/2002/भरतपुर रूपाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी की सरकारी सिवाय चक भूमि होने से अपीलार्थीगण को विवादित आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उनका कथन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, भरतपुर ने राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक18-9-1999 एवं 14-09-2000 एवं परिपत्र दिनांक 14-09-2000 के अनुसरण में ग्राम भुसावर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1646 रकबा 148बीघा 17बिस्वा में से 12 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड एवंखसरा नम्बर 1650 रकबा 20बीघा 04बिस्वा में से 09बीघा 05बिस्वा कुल 21बीघा 08बिस्वा भूमि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को आदेश दिनांक 30-05-2001 से आवंटित की। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण की ओर से ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त हो तथा वक्ता आवंटन विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त था। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में सरकारी सिवाय चक दर्ज है, जिसका नियमानुसार आवंटन जिला कलक्टर ने विद्युत विभाग को 132 केबीजीएसएस निर्माण हेतु किया गया है, जिसमें किसी प्रकार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/623/2002/भरतपुर रूपाराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अपीलार्थीगण प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	